



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 चैत्र 1943 (श०)
(सं० पटना 253) पटना, मंगलवार, 6 अप्रील 2021

सं० 1/प्रशि० विविध 17/2020-792/श्र०सं०
श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

5 अप्रील 2021

विषय :- श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उप प्राचार्य, वेतन स्तर-9 के पद पर डिग्री इन इंजीनियरिंग योग्यता वाले बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के किसी भी पद (यथा- प्राचार्य, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक) तथा अन्य सेवा (यथा- इंजीनियरिंग कॉलेज के सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, प्राध्यापक, प्राचार्य अथवा पोलिटेक्निक कॉलेज के व्याख्याता, विभागाध्यक्ष, प्राचार्य आदि) के किसी भी पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लेने के सम्बन्ध में।

बिहार में कार्यरत सभी 149 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशासनिक नियंत्रण उप निदेशक, प्राचार्य एवं उप प्राचार्य के द्वारा ही होता है। उप प्राचार्य, वेतन स्तर-9 के लिए 166 पद स्वीकृत हैं, जिसका 75 प्रतिशत 124 पद होता है, जिसके विरुद्ध कुल 48 उप प्राचार्य कार्यरत हैं। इस प्रकार कुल 76 पद रिक्त हैं। इन स्तर के पदों के रिक्त रहने के कारण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वर्णित स्थिति में उप प्राचार्य के रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की सेवा लेने पर विचार किया गया।

2. सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें प्राचार्य के पद को सीधी भर्ती से हटाकर पूरी तरह से संवर्गीय प्रोन्नति का पद कर दिया गया तथा अब केवल उप प्राचार्य, वेतन स्तर-9 के पद पर ही नियुक्ति हो सकेगी। जिसमें स्वीकृत बल का 75 प्रतिशत सीधी भर्ती से तथा 25 प्रतिशत फीडर कैडर के रूप में बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग के पदाधिकारियों के प्रोन्नति से नियुक्ति होगी।

3. बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा में प्राचार्य/उप प्राचार्य के पद पर अन्तिम रूप से 2015 में नियुक्ति हुई थी। उसके बाद दोनों पदों के लिए अध्यायना भेजी गयी थी, जिसमें सीधी भर्ती हेतु प्राचार्य का स्वीकृत बल 60 था तथा उप प्राचार्य के लिए 59। इसी के आधार पर प्राचार्य के लिए 15 पद का तथा उप प्राचार्य के लिए 11 पद का अध्यायना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। बाद में पुनर्गठन के आलोक में प्रस्तावित नियमावली के कारण नियुक्ति के प्रस्ताव को लंबित रखने का अनुरोध बिहार लोक सेवा आयोग से किया गया, जिसके कारण अभी विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुआ है। बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020 निर्गत हो चुकी है। नये सिरे से रिक्ति की गणना करके रोस्टर विलयरेंस कराकर आयोग को सीधी भर्ती हेतु अध्यायना भेजी जा चुकी है। संशोधित

नियमावली के आधार पर नियुक्ति हेतु परीक्षा का प्रावधान किया गया है, जबकि पूर्व में केवल साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति होती थी। स्वाभाविक है कि इन सब प्रक्रियाओं को पूर्ण होने में 1-2 वर्ष लग जायेंगे।

4. (क) संविदा के आधार पर नियोजित करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संकल्प सं० 10000, दिनांक 10.7.15 निर्गत किया, जिसके कंडिका 3(2)(ख)(iii) में प्रावधानित है कि किसी पद विशेष से सेवानिवृत्त कर्मचारी का चयन उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरुद्ध किया जा सकेगा। कंडिका 3(2)(ख)(v) में प्रावधान है कि चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। विशेष परिस्थिति में 65 वर्ष के बाद भी 67 वर्ष किया जा सकेगा। परंतु वैसे पदों, जिनकी सेवा निवृत्ति की आयु ही 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।

- (ख) विगत 7 वर्ष में उप प्राचार्य के पद से कोई भी पदाधिकारी सेवानिवृत्त नहीं हुये हैं। साथ ही इसके समकक्ष कोई पद किसी अन्य विभाग में नहीं है। इस कारण सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं० 10000, दिनांक 10.7.15 के आलोक में संविदा के आधार पर नियोजित करने के लिए एक भी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे।

5. वर्णित स्थिति में श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उप प्राचार्य, वेतन स्तर-9 के पद पर डिग्री इन इंजीनियरिंग योग्यता वाले बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के किसी भी पद (यथा- प्राचार्य, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक) तथा अन्य सेवा (यथा- इंजीनियरिंग कॉलेज के सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, प्राध्यापक, प्राचार्य अथवा पोलिटेक्निक कॉलेज के व्याख्याता, विभागाध्यक्ष, प्राचार्य आदि) के किसी भी पद से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर पर ली जायेगी। प्रोन्नति के उच्चतर पदधारी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक भी यदि उप प्राचार्य के पद पर नियोजन हेतु आवेदन देंगे, तो उनकी नियुक्ति संविदा के आधार पर की जायेगी। चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। विशेष परिस्थिति में 65 वर्ष के बाद भी 67 वर्ष किया जा सकेगा। परंतु वैसे पदों, जिनकी सेवा निवृत्ति की आयु ही 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी। शेष सभी शर्तें सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं० 10000, दिनांक 10.7.15 के अनुरूप होंगी।

6. दिनांक 31.3.2021 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद सं० 18 में इसकी स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन राजकीय गजट के असाधारण अंक में किया जाय तथा इसकी 25 प्रतियाँ श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आलोक कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 253-571+25-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>